रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265891 CG-DL-E-02092025-265891

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3905]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 39051

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

(आयकर)

का.आ. 4010(अ).— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतत्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय, 'महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद' (पैन: AAHAM7600C) को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) श्ल्क और अंशदान
- (ख) ब्याज आय

5856 GI/2025 (1)

- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद -
 - (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी;
 - (ख) गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगी।
- 3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 144 /2025/फा. सं. 300196/15/2019-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

(Income-tax)

- **S.O. 4010(E).** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Maharashtra State Pharmacy Council' (PAN: AAHAM7600C), a body constituted by the Government of Maharashtra, in respect of the following specified income arising to that Council, namely:-
 - (a) Fees and Subscriptions.
 - (b) Interest Income
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Maharashtra State Pharmacy Council -
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for financial years 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23 relevant to assessment year 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24.

[Notification No. 144 /2025/F. No. 300196/15/2019-ITA-I] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.